


TDR करेडा की रिपोर्ट अनुसार मय सूची क्र.स. 1 से 105 मे दर्ज पुविष्टि को शुध्द किये जाने का आदेश किया जाता है। तहसीलदार करेडा तदनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमलदरामद कर वालना रिपोर्ट पेश करे।


प्रधान अधिकारी
(तहसील अधिकारी)
अरेरा

